भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3308

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

केरल में उर्वरक राजसहायता

3308. श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019-20 से केरल में उर्वरक-वार और वर्ष-वार जारी की गई उर्वरक राजसहायता का ब्यौरा तथा उपलब्ध कराए गए रियायती उर्वरकों की मात्रा क्या है;
(ख) क्या केंद्रीय सरकार को केरल सरकार से राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की कमी, आपूर्ति में देरी/अपर्याप्त आवंटन के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की उपलब्धता और समय पर आपूर्ति पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक कीमतों और आयात लागत में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त राज्य को आपूर्ति किए गए यूरिया, डीएपी, एमओपी, एनपीके और अन्य रियायती उर्वरकों की मात्रा का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) उक्त राज्य के किसानों, विशेषकर धान, नारियल, रबर, मसाला और बागवानी उत्पादकों को पर्याप्त रियायती उर्वरक, समय पर और किफायती रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड): उर्वरकों की डीबीटी प्रणाली के तहत, लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेड पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है। प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के बाद सब्सिडी वितरित की जाती है। तदनुसार, सभी किसानों को बिना किसी मनाही के आधार पर रियायती दरों पर उर्वरक की आपूर्ति की जाती है। चूंकि धनराशि का आवंटन या संवितरण जिला-वार अथवा राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है, इसलिए इस तरह के डेटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। वर्ष 2019-20 से सरकार द्वारा संवितरित उर्वरक सब्सिडी की कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	सब्सिडी स्कीम					कुल
	स्वदेशी पीएंडके	स्वदेशी यूरिया	सिटी कंपोस्ट	आयातित पीएंडके	आयातित यूरिया	
2019-20	15906.00	43050.00	33.85	10429.00	14049.00	**83467.85**
2020-21	22288.37	68807.41	68.74	15015.37	25049.62	**131229.51**
2021-22	31931.46	54619.72	43.71	20794.79	50250.40	**157640.08**
2022-23	50089.67	127311.10	0.00	36032.56	41365.60	**254798.93**
2023-24	36270.00	102027.00	0.00	28929.57	28193.94	**195420.51**
2024-25	34010.00	103319.50	0.00	18800.00	21000.00	**177129.50**
2025-26	41000.00	94219.50	0.00	33999.99	47956.24	**217175.73**
* सिटी कम्पोस्ट की स्कीम 1 अक्टूबर, 2021 से बंद कर दी गई है						

हाल के भू-राजनीतिक तनावों ने उर्वरकों और कच्चे माल के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उच्च माल भाड़ा और बीमा लागत, शिपमेंट में देरी और मूल्य अस्थिरता हुई। तथापि, देश में उर्वरक उपलब्धता विविध स्रोतों और सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक पर्याप्त बनी रही। सरकार ने विभिन्न देशों से खरीद के अवसरों की तलाश करके आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए उपाय किए हैं। इसके अलावा, उर्वरक उद्योग ने पारदर्शी मूल्य खोज सुनिश्चित करने, वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ सौदेबाजी की शक्ति में सुधार करने तथा उर्वरकों और कच्चे माल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक उद्योग संघ के माध्यम से उर्वरकों और कच्चे माल की सामूहिक रूप से खरीद भी की है। मौजूदा प्रावधान के अनुसार उर्वरक सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, जिसके आधार पर, आवश्यकतानुसार, अतिरिक्त बजटीय आवंटन की मांग करने की प्रक्रिया की जाती है।

केरल राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों में पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

तदनुसार, केरल राज्य में 2019-20 (अर्थात वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक) से उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान राज्य में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक लोक सभा के दिनांक 07.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3308 के भाग (क) के उत्तर से संबंधित है।

केरल

2019-20 से 2025-26 तक उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े एलएमटी में)

क्र.सं.	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	**2019-20**	1.17	1.34	1.14	0.33	0.20	0.17	1.25	1.07	0.89	1.20	1.64	1.32
2	**2020-21**	1.13	1.51	1.27	0.19	0.22	0.21	0.85	1.28	1.09	1.25	1.72	1.44
3	**2021-22**	1.22	1.29	1.15	0.20	0.14	0.14	1.10	0.86	0.77	1.45	1.43	1.26
4	**2022-23**	1.23	1.32	1.12	0.20	0.22	0.19	1.07	0.86	0.78	1.42	1.32	1.02
5	**2023-24**	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
6	**2024-25**	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
7	**2025-26**	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता **>** आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता **>** बिक्री